

-2-

यह सम्पुष्ट सूचना प्राप्त हो कि विधान सभा की मतदाता सूची में दर्ज किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है अथवा वह संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निवासी नहीं रह गया है तो उस मतदाता का नाम पंचायत की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार अगर 2011 की पंचायत मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता की मृत्यु हो गयी है अथवा वह उस वार्ड का निवासी नहीं रह गया है तो उसका नाम पंचायत की मतदाता सूची से हटा दिया जायेगा।

(3) उपर्युक्त तरीके से तैयार मतदाता सूची उक्त निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के लिए प्रारूप मतदाता सूची मानी जायेगी।

4. नये नाम जोड़ने के लिए 01.01.2015 को अठारह वर्ष की उम्र को ही आधार माना जायेगा। निम्न कार्यक्रम के अनुसार पंचायत उप निर्वाचन, 2015 हेतु मतदाता सूची की तैयारी की जायेगी :-

(क) पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर क्षेत्र विशेष के

वार्ड-वार तैयार मतदाता सूची का प्रकाशन

(प्रारूप प्रकाशन)

- 21.01.2015 से 03.02.2015

(ख) प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण

- 21.01.2015 से 05.02.2015 तक

(ग) मतदाता सूची में नयी प्रविष्टियों पर आयोग का अनुमोदन

-- 09.02.2015 तक

(घ) मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन

- 11.02.2015

(ङ) मतदाता सूची मुद्रण

- 13.02.2015 तक

5. स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम के अनुसार मात्र उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा जिन निर्वाचन क्षेत्र के पद रिक्त हैं एवं जिनपर उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है।

4. अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 31.12.2014 तक की रिक्तियों को संमेकित करते हुये ससमय मतदाता सूची की तैयारी सुनिश्चित की जाए तथा रिक्तियों की संमेकित विवरणी आयोग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।

विश्वासभाजन,

जनांक 72 2/4 दिनांक 20.1.2015 प्रभासी सचिव। 16.1.15

प्रतिनिधि - अनुमंडल पदाधिकारी, जिला प्रद / महाराजगंज की सूचनाएँ एवं आखण्ड कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि - सभी प्रखण्ड क्रिया पदाधिकारी, जिला जिला की सूचनाएँ एवं आखण्ड कार्रवाई हेतु प्रेषित दिनांक 20.1.15 को अपने प्रखण्ड कार्यालय दिनांक 20.1.15 को रिक्ति की उपरोक्त कार्रवाई के अनुसार प्रदाता सूची की तैयारी सुनिश्चित करें।

20.1.15
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
20.01.15